रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 1971/श्रावण 20, 1893

No. 417] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 1971/SRAVANA 20, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

SWASTHYA AUR PARIVAR NIYOJAN MANTRALAYA
(Swasthya Vibhag)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August 1971

S.O. 2994.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby appoints:—

(a) the 15th August, 1971 as the date on which the provisions of sections 2, 13, 32, 33, 34, 35 and 36 of the said Act shall come into force in the whole of India;

(b) the 15th August, 1971 as the date on which the provisions of sections 3, 5 to 12 (both inclusive and 14 to 16 (both inclusive) of the said Act shall come into force in all the States (except the State of Nagaland) and in the Union Territory of Delhi.

[No. F.3-3/71-A.E.]

PREMA JOHARI, Jt. Secy

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1971

एस० ओ० 2994.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(क) 15 अगस्त, 1971 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जब उक्त अधिनियम की धारा 2, 13, 32, 33, 34, 35 और 36 सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त होंगी ;

(ख) 15 अगस्त, 1971 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जब उक्त अधिनियम की धारा 3, 5 से 12 तक (दोनों सहित) और 14 से 16 तक (दोनों सहित) नागालैंड राज्य को छोड़ कर संघ राज्यों में और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

प्रेमा जोहरी,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971